

## फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता स्व. उदयलाल निवासी देवगढ़ मदारिया, जिला राजसमन्द

— अपीलांत

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 07/2021


क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 16.02.2021</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांक: प.1( )सू0अ0,05/2021/86-87 दिनांक 28.01.2021 से प्राप्त रिपोर्टनुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 03.01.2021 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 06.01.2021 को व इस अनुभाग को 06.01.2021 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से 05 तक की जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई उसमें से बिन्दु संख्या 01 की सूचना इस कार्यालय की होने से कार्यालय के प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 15-16 दिनांक 08.01.2021 से लिखा गया तथा आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 02 से 05 तक इस कार्यालय की नहीं होकर पुलिस विभाग से संबंधित होने से अन्य लोक प्राधिकरण की सूचना के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी अनुसार संबंधित लोक प्राधिकरण/विभाग का अंकन कर भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10/2/2008 आई. आर. दिनांक 24.09.2010 की अनुपालना में अपीलार्थी को पृथक से संबंधित लोक प्राधिकरण में आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका है। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 की प्रभारी अधिकारी सहायता अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 336 दिनांक 13.01.2021 से अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना, आरटीआई की धारा 2 एच के अनुसार इस अनुभाग को उपलब्ध कराई गई वह अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 34 दिनांक 15.01.2021 से प्रेषित की जा चुकी हैं। अपीलार्थी के आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 01 से चाही गई सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 02, 03, 04, 05 इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से अन्य लोक प्राधिकरण की सूचना के संबंध में इस कार्यालय की जानकारी अनुसार संबंधित लोक प्राधिकरण/विभाग का अंकन कर भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10/2/2008 आई.आर. दिनांक 24.09.2010 की अनुपालना में अपीलार्थी को पृथक से संबंधित लोक प्राधिकरण में आवेदन कर नियमानुसार सूचना प्राप्त करने हेतु अवगत कराया जा चुका है।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट</p>	



11

एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टनुसार बिन्दु संख्या 01 से चाही गई सूचना जो अभिलेख पर उपलब्ध थी वह अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जा चुकि हैं तथा बिन्दु संख्या 02 से 05 की सूचना इस कार्यालय की नहीं होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी  
(जिला कलक्टर)राजसमन्द

